



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान मह्यलेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,
ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर - 474 002
Indian Audit and Accounts Department
O/o the Principal Accountant General (Audit-I), Madhya
Pradesh, Audit Bhawan, Jhansi Road, Gwalior - 474002
Email: agaumadhyapradesh1@cag.gov.in



OE-11/Gr-6/F-124-3B/E-68937/00-85

दिनांक-25-08-2026

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER-85

सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार तथा महानिदेशक लेखापरीक्षा (रक्षा सेवाएं) का कार्यालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-2389/प्रशासन/पी.एफ./वि.सि.रा./ले.प. दिनांक-12.08.2026 के अनुपालन में, उक्त कार्यालय से इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री विवेक सिंह राजपूत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक की प्रतिनियुक्ति अवधि को मुख्यालय कार्यालय के पत्र क्रमांक 60-स्टाफ(एप)-I/14-2023, दिनांक-27.01.2025 में निहित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 27.08.2026 से 26.08.2027 तक (तृतीय वर्ष) निम्नलिखित शर्तों के अधीन विस्तारित किया जाता है: -

- पुनः प्रतिनियुक्ति विस्तार नहीं होने की स्थिति में, श्री विवेक स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि के अंतिम दिन कार्यभार त्यागकर स्वयं को कार्यभार मुक्त करेंगे।
- उपर्युक्त निर्देश का पालन न करने पर वह स्वतः ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
- नियत समयावधि में प्रत्यावर्तन नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत अवधि के बाद की उनकी सेवा को सेवा में विराम माना जावेगा।
- संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय से यह सुनिश्चित किया जावेगा कि श्री विवेक की स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि के पश्चात् का वेतन रोक दिया जावे।

As per the orders of the Competent Authority and in compliance with letter no.2389/Administration/P.F./V.S.R./Audit, dated 12.08.2026, issued by the Office of the Director General of Audit (Defence Services), New Delhi, the deputation tenure of Shri Vivek Singh Rajput, Senior Auditor, presently working on deputation in this office from the said office, is hereby extended from 27.08.2026 to 26.08.2027 (Third Year), in accordance with the provisions contained in Headquarters Office Letter No. 60-Staff(App)-I/14-2023, dated 27.01.2025, subject to the following conditions: -

- In the event of no further extension of the deputation tenure, Shri Vivek shall relinquish charge on the last day of the approved deputation period and get himself relieved from this office.

- (ii) Failure to comply with the aforesaid instruction shall render him liable for disciplinary action.
- (iii) In the event of failure to repatriate within the stipulated period, the period of service rendered by him beyond the approved deputation period shall be treated as a break in service.
- (iv) The concerned Pay and Accounts Office shall ensure that the salary of Shri Vivek is withheld beyond the approved period of deputation.

हस्ता-

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन-11

पृष्ठ- OE-11/Gr-6/F-124-3B/E-68937/

दिनांक-

प्रतिलिपि: सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I), म.प्र., ग्वालियर।
2. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, म.प्र., ग्वालियर।
3. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, म.प्र., ग्वालियर।
4. उप महालेखाकार/प्रशासन, महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय, म.प्र., ग्वालियर को आपदा प्रबंधन कार्य हेतु प्रेषित।
5. उप निदेशक/प्रशासन, महानिदेशक लेखापरीक्षा (रक्षा सेवाएं) का कार्यालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-2389/प्रशासन/पी.एफ./वि.सि.रा./ले.प. दिनांक-12.08.2026 के सम्बन्ध में।
6. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, पी.ए.ओ- 2/5, महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय, लेखा भवन, म.प्र., ग्वालियर।
7. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन- 12, 13, 14, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, विधि कक्ष, संपदा प्रबंधन एवं गोपनीय कक्ष।
8. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /आई.एस.विंग & eCell, इन्ट्रानेट पर एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. श्री महेश कुमार अलोरिया, स.ले.प.अ. को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर अपलोड सुनिश्चित करने हेतु ।
10. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
11. सम्बंधित कार्मिक।
12. सूचना पटल/ऑडिट भवन ।
13. गार्ड फाइल हेतु (03 प्रतियां)।



वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन-11